बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0यो0–40–09/2014– 1031

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 28/4/2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त वर्ष 2014 में 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यन्त पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को ₹10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में भुगतान हेतु कुल ₹7,40,24,000/– (रूपये सात करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) मात्र का भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट/चेक जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रसांगिक विषयक् सम्बन्ध में कहना है वित्तीय वर्ष 2014–15 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त वर्ष 2014 में 10वीं परीक्षा में प्रथम् श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यन्त पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को ₹10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु कुल ₹7,40,24,000/– (रूपये सात करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) मात्र के भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से निम्नांकित जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया हैः–

क्र0	जिला का नाम	राशि
1	पटना	₹3584000
2	नालंदा	₹2430000
3	रोहतास	₹2140000
4	भभुआ	₹640000
5	भोजपुर	₹2850000
6	बक्सर	₹1240000
7	गया	₹2970000
8	जहानाबाद	₹930000
9	अरवल	₹1470000
10	नवादा	₹3910000
11	औरंगाबाद	₹2880000
12	सारण	₹3130000
13	सीवान	₹2130000
14	गोपालगंज	₹1510000
15	मुजफ्फरपुर	₹1540000
16	सीतामढ़ी	₹1290000
17	शिवहर	₹330000
18	प0चम्पारण	₹1460000
19	पू0चम्पारण	₹2230000

20	वैशाली	₹3630000
21	दरभंगा	₹1170000
22	मधुबनी	₹2200000
23	समस्तीपुर	₹2750000
24	सहरसा	₹1640000
25	सुपौल	₹1440000
26	मधेपुरा	₹540000
27	किशनगंज	₹50000
28	कटिहार	₹1060000
29	भागलपुर	₹2460000
30	बाँका	₹1040000
31	मुंगेर	₹2340000
32	लखीसराय	₹2920000
33	शेखपुरा	₹660000
34	जमुई	₹1960000
35	खगड़िया	₹4330000
36	बेगुसराय	₹5170000
	योग	**₹74024000**

मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागीय स्वीकृत्यादेश द्वारा बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को राशि उपलब्ध करायी गयी थी, जो निगम द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से जिलों को उपलब्ध कराया गया था। संबंधित जिलों द्वारा वितरण के पश्चात शेष अवितरित कुल ₹7,40,24,000/– (रूपये सात करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) मात्र बैंक ड्राफ्ट/चेक से बिहार राज्य वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को वापस की गयी। वापस की गयी राशि ₹7,40,24,000/– (रूपये सात करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) को उपरोक्त जिला कल्याण पदाधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट/चेक तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर उपर वर्णित जिलों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि मेधावृत्ति राशि का वितरण किया जा सके।

विश्वासभाजन,

24/4/15

(मनोज कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0यो0–40–09/2014–1031 पटना, दिनांक– 28/4/2015

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी उपनिदेशक (कल्याण)/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विभागीय आवंटनादेश संख्या–48 दिनांक–17.10.2014 के द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त छात्र/छात्रा की संख्या के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही मेधावृत्ति राशि को कृपया कैम्प लगाकर माह मई, 2015 तक वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। वितरण के पश्चात प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

24/4/15

सरकार के उप सचिव।